

प्ररूप 21क
(नियम 11 (1) देखिए)
(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2026

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री दिनेश कुमार आर्य, 223/40 कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल, उत्तराखण्ड जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं,

उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 25 नवम्बर, 2026 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : देहरादून।

तारीख: 09 अक्टूबर, 2026



(हेम चन्द्र पन्त)

प्रभारी सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर
उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित,
सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक,
निर्वाचन के लिए।

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(पटल कार्यालय)

संख्या : 113/वि0स0/232/पटल/2026

देहरादून, दिनांक : 09 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
- 2- सचिव, भारत सरकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी सम्बन्धी मंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली,
- 3- महासचिव, राज्य सभा सचिवालय कमरा सं0-33 टेबल आफिस, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 4- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून,
- 5- निर्वाचित अभ्यर्थी,
- 6- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून को इस निवेदन के साथ कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा करें।
- 7- केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून,
- 8- सहायक निदेशक, समाचार, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी, देहरादून को इस निवेदन के साथ की उक्त सूचना को तुरन्त अगले समाचारों में प्रसारित करने की कृपा करें।



(हेम चन्द्र पन्त)

प्रभारी सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर
उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित,
सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक,
निर्वाचन के लिए।

FORM 21A

[See rule 11(1)]

(For use in Biennial Election when seat is uncontested)

**Declaration of the result of Election under sub-section (2) of section 53
of the Representation of the People Act, 1951.**

Biennial- Election to the Council of States by the elected members of
the Legislative Assembly, Uttarakhand- 2026.

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53
of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule
11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

**Shri Dinesh Kumar Arya, 223/40, Kaladhungi Road, Haldwani District-
Nainital** sponsored by **Bharatiya Janata Party,**

Has been duly elected to fill the seat in that House of one member
retiring on 25th November, 2026 on the expiration of his term of office.

Place: Vidhan Sabha Bhawan, Dehradun

Date: 09 October, 2026

Signature.....

(Hem Chandra Pant)

Returning Officer for the
Biennial Election to the Council
Of States by the elected
Members of the Uttarakhand
Legislative Assembly.